संख्याः2/2019/1870/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः लखनऊः दिनांक : 23 जनवरी, 2019

विषयः-जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4448/यूपीनेडा-आर0ओ0-नया प्रस्ताव/2017(116), दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-70 में जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर0ओ0 संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की व्यवस्था है। उक्त धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 50,00,000/-(रू0 पचास लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय कर लेने पर दूसरी किश्त अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्ययोजना में सम्मिलित है।

4- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

5- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसके लिये कार्य से पूर्ण एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।

6- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60- अन्य-800-अन्य व्यय-09 जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर0ओ0 वाटर प्लांट की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा"।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-10-19 /दस/2019, दिनांक 21-01-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव ।**</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।